

संचालनालय आयुष, म०प्र०
(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

--:विज्ञापित:--

नीट-2018 द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर म०प्र० आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम-2018 के अनुक्रम में प्रदेश के शासकीय (स्वशासी) एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण की आनलाईन काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त भारत सरकार आयुष मंत्रालय के निर्देश दिनांक 01/11/18 एवं डब्लू.पी. 29461/2018 माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ इंदौर के निर्देश दिनांक 24/12/18 के अनुक्रम में रिक्त सीटों की पूर्ति के लिये तृतीय चरण में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन/अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

1/ मैरिट सूची तैयार किये जाने का कार्यक्रम-

क्र.	विवरण	दिनांक एवं समय
1	पंजीयन	दिनांक 28/12/18 से दिनांक 29/12/18 रात्रि 11:59 बजे तक
2	अभिलेख सत्यापन	दिनांक 29/12/18 से दिनांक 30/12/18 रात्रि 11:59 बजे तक
2	मैरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 31/12/2018

नोट:-

- 1- अभ्यर्थी प्रकाशित ऑनलाईन पंजीयन/अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम अनुसार प्रकाशित मैरिट सूची के आधार पर प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- उक्त प्रवेश पंजीयन/अभिलेख सत्यापन व प्रवेश कार्यक्रम डब्लू.पी. 29461/2018 में माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ इंदौर के निर्देश दिनांक 24/12/18 के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।
- 3- उक्त प्रवेश पंजीयन/अभिलेख सत्यापन जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में पंजीयन/अभिलेख सत्यापन कराया है उन्हें कराने की आवश्यकता नहीं है।
- 4- उपरोक्त प्रवेश काउंसिलिंग में आयुष मंत्रालय भारत सरकार से प्रवेशानुमति प्राप्त व माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के अनुक्रम शासकीय (स्वशासी)/निजी आयुष महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जा रहा है।
- 5- अभ्यर्थियों को उक्त प्रवेश नियम के नियम-9.1 अनुसार सीट आवंटन का अवसर दिया जावेगा।
- 6- नियम, आवश्यक प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए म०प्र० आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम-2018 देखे जो [www.ayush.mp.gov.in /](http://www.ayush.mp.gov.in/)
www.ayush.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।
- 7- प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश नियम-2018 में संलग्न फीस चार्ट के पूर्ण रूप से अध्ययन पश्चात् ही शासकीय (स्वशासी)/निजी महाविद्यालयों का चयन करें। चयन के उपरान्त यह माना जावेगा कि आपको संबंधित महाविद्यालय की प्रदर्शित फीस संरचना स्वीकार्य है।
- 8- उक्त प्रवेश नियम 2018 के नियम 14 अनुसार ऑफलाइन काउंसिलिंग के बारे में विस्तृत कार्यक्रम व कार्यक्रम स्थल की जानकारी प्रकाशित की जावेगी।
- 9- मैरिट सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in पर किया जावेगा। मैरिट सूची के आधार पर प्रवेश काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित दिनांक को काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित होना है, जिसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रदाय की जाएगी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है उक्त विभागीय वेबसाइट के लगातार संपर्क में रहे।
- 10- प्रवेश के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आयुक्त संचालनालय आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।
- 11- विज्ञापन में वर्णित निर्धारित शेड्यूल की जानकारी संचालनालय आयुष म०प्र० भोपाल की वेबसाइट [www.ayush.mp.gov.in /](http://www.ayush.mp.gov.in/) www.ayush.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध है।
आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ० सतीश चन्द्र शर्मा)
प्र०संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म०प्र०

भारतसरकार

Government of India

आयुर्वेद, योगवैद्यकीयचिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय
Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)

“आयुषभवन”/“AYUSH BHAWAN”

“बी” ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, ‘B’ Block, GPO Complex,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110 023/INA, New Delhi-110 023

दिनांक/ Dated: 01.11.2018

To,

All State Authorities
(As enclosed)

Sub: Admission in Under Graduate degree Courses in ASU&H College-reg.

Sir/Madam,


In continuation to this Ministry's letter of even number dated 11.06.2018, it is further clarified that the Ministry has received various representations stating that seats are lying vacant due to less number of qualified students in the NEET-2018.

2. In this regard, the matter regarding qualifying criteria has been examined by the Ministry and decided that in order to be eligible for admission, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 35th percentile in NEET-2018. However, in respect of candidates belonging to Scheduled castes, Scheduled tribes, Other Backward castes, the minimum marks shall be at 25th percentile. In respect of the candidates with bench marked Disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks shall be at 30th percentile for General Category candidates and 25th percentile for SC/ST/OBC candidates.

3. This clarification is applicable only for Academic Year 2018-19.

4. This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully


(Dr. Shashi Ranjan Kumar Vidyarthi)

Director

Ph.No.011-24651976-80

Copy to:

1. Chief Secretaries to all Stte/UT (as per list enclosed) for necessary action.
2. Registrar of all Universities having affiliated AYUSH Colleges, for information and necessary action at their level.
3. The Secretary (CCIM/CCH), 61-65 Institutional Area, Opp. D-Block, Janakpuri, New Delhi for necessary action.
4. NIC for uploading on Ministry's website.
5. Principal/Directors of all AYUSH Colleges/Institutions for information.